भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1468

उत्तर देने की तारीख : 10.02.2022

एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देना

1468. श्री सी.आर. पाटिल:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) : क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) : एमएसएमई क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र से अंतरराष्ट्रीय मच तक जोड़ने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले मदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नारायण राणे)

(क) और (ख) : एमएसएमई मंत्रालय देश में एमएसएमई क्षेत्र के विकास और वृधि के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यन्वयन करता है। इन योजनाओं और कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पारंपरिक उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति), नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन योजना (एस्पायर), सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) आदि शामिल हैं। इन योजनाओं के तहत पूरे देश में सभी पात्र एमएसएमई के लिए लाभ उपलब्ध हैं।

सरकार ने देश में लघु व्यवसाय पर कोविड -19 महामारी के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और उनके वित्त और बाजार पहुंच को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हाल ही में कई पहलें की हैं। उनमें से कुछ हैं:

(i) दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का अधीनस्थ ऋण;

(ii) एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) (बजट 2022-23 की घोषणा में, जिसे बाद में बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है)।

(iii) एमएसएमई आत्मनिर्भर भारत निधि (एसआरआई फंड) के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन।

(iv) एमएसएमई के वर्गीकरण का नए रूप में मानदंड निर्धारण।

(v) 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए वैश्विक निविदाएं न होना भी है।

(ग) : इस मंत्रालय की योजनाएं, उदाहरणतः एमएसएमई को देश में ग्रामीण क्षेत्रों सहित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना, को अंतर्राष्ट्रीय मंच के साथ जोड़ने में सहायता करती हैं।

*****